

संचालनालय राष्ट्रीय छात्र सेना (राज्य कोष्ठ) छत्तीसगढ
डुगांजी कालोनी, रायपुर

कमांक/1003/स्था/राज्य/एनसीसी रायपुर

दिनांक जुलाई 2017

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

संचालनालय राष्ट्रीय छात्र सेना (राज्य कोष्ठ) छत्तीसगढ अपने अधीनस्थ कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर छत्तीसगढ सिविल सेवा भर्ती नियमों व छत्तीसगढ शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के पत्र कमांक एफ 7-23/2012/20-3 दिनांक 05 मई 2016 में विभाग को दी गई सीधी भर्ती की स्वीकृति के तहत विभाग में सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों से आनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाईट www.cgncc.com पर दिनांक 22 जुलाई से 05 अगस्त 17 तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

क्रं.	पदनाम	स्वी कृत पद	अनु.जाति 12:				अनु0जनजाति 32:				अन्य पिछडा वर्ग 14:				अनारक्षित			
			महिला	भूपू0से	दिव्यांग	अन्य	महिला	भूपू0से	दिव्यांग	अन्य	महिला	भूपू0से	दिव्यांग	अन्य	महिला	भूपू0से	दिव्यांग	अन्य
1	लश्कर 4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	5	-	14
2	भृत्य 4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	12	-	-	-	2	1	1	-	3	-	-	-	-	1	1	-	3
3	चौकीदार 4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	05	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
4	सफाईवाला 4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	04	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
5	फैरियर 4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	02	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

1. आयु - 18 से 35 वर्ष । आयु सीमा के संबंध में छग शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे।
2. शैक्षणिक योग्यता - 8वीं उत्तीर्ण
3. छत्तीसगढ सिविल सेवा भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती की जायेगी ।

प्रभारी अधिकारी
संचालनालय राष्ट्रीय छात्र सेना (राज्य कोष्ठ)
छत्तीसगढ डुगांजी रायपुर

नियम व शर्तें

1. आवेदन ऑन लाईन ही स्वीकार किये जावेंगे । अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं कक्षा 8वीं उत्तीर्ण । उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिये कोई अतिरिक्त अंक प्रदान नहीं किया जावेगा ।
3. आयु :-
 - (क) विज्ञापन जारी होने / चयन प्रारंभ होने के वर्ष के 01 जनवरी 17 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35वर्ष में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी साथ ही अन्य विशेष वर्गों (अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग) के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है ।
 - (ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
 - (ग) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं, या रह चुके हैं उच्चतम आयु सीमा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शासन द्वारा प्रावधानित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी ।
 - (घ) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो ।
 - (ङ) आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना योजनान्तर्गत सम्मानित दम्पतियों के संपूर्ण पार्टनर को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए सामान्य उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।
 - (च) शहीद राजीव गांधी पुरस्कार गुण्डाधूर सम्मान महाराजा प्रवीरचंद सम्मान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी उम्मीदवारों को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
 - (छ) ऐसे अभ्यर्थियों के लिये जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मंडल की सेवा के कर्मचारियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी ।
 - (ज) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीषन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।
 - (झ) आयु सीमा के संबंध में छग शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे ।
 - (ञ) किसी भी उम्मीदवार को उपरोक्तानुसार किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
4. (क) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
 - (ख) अनु.जाति/अनु.जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।
 - (ग) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र जीवित (वैद्य) होना अनिवार्य है । आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि , वर्ग, विषय, दिव्यांगता आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।
 - (घ) शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उनका आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
 - (ङ) पदों की संभावित रिक्तियों के संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की सकती है ।
 - (च) अंतिम निर्णय अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय छात्र सेना म0प्र0 एवं छ0ग0 भोपाल का होगा ।
 - (छ) किसी भी पद हेतु चयन प्रक्रिया किसी भी समय नियोक्ता द्वारा स्थगित लंबित या निरस्त की जा सकती है ।

- (ज) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा।
- (झ) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (त्र) पात्रता के लिए अन्य नियम एवं शर्तें छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
- (प) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (फ) अभ्यर्थी समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक सही रूप से भरे, क्योंकि अभ्यर्थी की भरी हुई जानकारी के आधार पर मूल्यांकन पत्रक तैयार किया जावेगा।
- (ब) व्यक्तिगत/ डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
- (भ) एनसीसी प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- (म) दो वर्ष परिविक्षाधीन पर नियुक्ति दी जावेगी।
- (य) छ0ग0 राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय तक जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
- (र) किसी भी प्रकार से अपनी नियुक्ति हेतु की गई कोई भी सिफारिश उम्मीदवार की अयोग्यता मानी जायेगी एवं उसका आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ल) ऑन लाईन आवेदन भरने में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्वान्ह 10.30 बजे से अप्रान्ह 5.30 बजे के मध्य हेल्पलाईन नम्बर 0771-2263284 या मो0 नम्बर 9111012213 पर काल करें।
- (व) आवेदन करने हेतु वेबसाइट दिनांक 22.07.17 से 05.08.17 तक खुली रहेगी।

प्रभारी अधिकारी
संचालनालय राष्ट्रीय छात्र सेना (राज्य कोष्ठ)
छत्तीसगढ़ डुगांजी रायपुर